

**जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।**

सी०सी०ए० केस सं०-०३/१६-१७

राज्य -बनाम- सिकन्दर भूर्इयॉ

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
	<p>वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक:-461/डी०सी०बी०, दिनांक:-26/03/2016 द्वारा अपराधकर्मी सिकन्दर भूर्इयॉ, पे०-मोती भूर्इयॉ, सा०-ह्यूमपाईप छायानगर, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3)(a) के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान में (1) सीतारामडेरा थाना काण्ड सं०-05/15, दिनांक:-06.01.15, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट, (2) सीतारामडेरा थाना काण्ड सं०-38/06, दिनांक:-04.04.06, धारा-307/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट, (3) सीतारामडेरा थाना काण्ड सं०-50/08, दिनांक:-15.05.08, धारा-379/411 भा०द०वि०, (4) सीतारामडेरा थाना काण्ड सं०-52/06, दिनांक:-18.05.06, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट, (5) सीतारामडेरा थाना काण्ड सं०-91/14, दिनांक:-02.06.14, धारा-341/323/386/387/34 भा०द०वि०, (6) सीतारामडेरा थाना काण्ड सं०-93/11, दिनांक:-22.08.11, धारा-323 / 341 / 379 / 307 / 427 / 504/506/34 भा०द०वि०, (7) सीतारामडेरा थाना काण्ड सं०-98/05, दिनांक:-03.11.05 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट एवं (8) परसुडीह थाना काण्ड सं०-99/11, दिनांक:-06.09.11, धारा-341/323/379/504 भा०द०वि० दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी जमशेदपुर शहर एवं आस-पास के क्षेत्रों में अपने नाम का भय फैला रखा है तथा इन दिनों इनका आतंक शहर में व्याप्त है।</p> <p>वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी सिकन्दर भूर्इयॉ एक पेशेवर अपराधकर्मी है। इनके क्रियाकलापों के कारण जमशेदपुर शहर की शांति व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। ये हाल में ही जेल से छूटकर आया है और इसके जेल से छुटने पर सीतारामडेरा एवं समीप के थाना क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगो का आना-जाना लगा रहता है। जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। जब तक ये न्यायिक हिरासत (जेल) में रहें, तब तक इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आयी, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।</p>	

3/10/05/2016

